सरकारी विभाग और अधिकारियों के बंगले उधार की बिजली से हो रहे रोशन

जनता का यदि एक महीने भी बकाया हो जाए, तो काट देते हैं कनेक्शन

शाजापुर । यदि आम आदमी के घर का बिजली का बिल एक महीने से ज्यादा बकाया हो जाए, तो विद्युत विभाग तुरंत विद्युत कनेक्शन काट देता है, लेकिन जिला मुख्यालय पर करीब एक दर्जन से अधिक सरकारी विभाग ऐसे हैं, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल बकाया है। साथ ही कुछ अधिकारियों के बंगले भी हैं, जिनका बिल बकाया है, लेकिन इन विभागों की बिजली काटने या बंद करने की हिम्मत विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के पास नहीं है। कई बंगले तो ऐसे हैं, जो आज भी एवरेज बिल से ही रोशन हो रहे हैं।

गौरतलब है कि शाजापुर विद्युत मंडल ने फरवरी 2026 तक बकाया बिलों की सूची जारी की थी, जिसमें 50 हजार से ऊपर तक के बकायादारों के नाम हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव विभाग, तहसील कार्यालय, जिला जेल, सीएम राइज स्कूल, पुलिस कंट्रोल रूम, प्राचार्य बीकेएसएन कॉलेज शाजापुर, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका सहित कई विभागों पर लाखों रुपए का बिल बकाया है। यदि ये बिल किसी आम आदमी के बकाया होते, तो विद्युत मंडल अभी तक कईयों के कनेक्शन विच्छेद कर देता।

आम आदमी का बकाया होने पर करते हैं कुर्की

किसान या आम आदमी का बिजली बिल बकाया हो, तो विद्युत विभाग बिजली काट देता है और बकाया राशि की वसूली के लिए सामान की कुर्की भी कर लेता है. बकाया राशि के चक्कर में कई गांवों की लाइट कई दिनों तक बंद रहती है. लेकिन सरकारी विभाग और अधिकारियों के बंगलों पर सालों से बिल बकाया है. आज तक किसी बंगले या सरकारी विभाग की लाइट बकाया बिल के कारण बंद नहीं की गई.

कई सरकारी बंगलों पर स्मार्ट मीटर ही नहीं ...

कई सरकारी अधिकारियों के बंगलों पर या तो एवरेज बिल दिया जा रहा है, तो कई सरकारी बंगलों पर स्मार्ट मीटर ही नहीं है। जबकि सरकारी बंगलों में सबसे ज्यादा बिजली खपत हो रही है। उसके बावजूद भी यदि सरकारी बंगलों की विद्युत मंडल बारीकी से जांच करे, तो सबसे ज्यादा ज्यादा बिजली बिलों का बकाया मिलेगा। लेकिन विद्युत विभाग में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे किसी सरकारी बंगले का बकाया होने पर उसकी लाइट काट सके।

इन विभागों पर बकाया है लाखों रुपए

विभाग	बकाया राशि
जिला शिक्षा विभाग	76593
निर्वाचन कार्यालय	163421
तहसील कार्यालय	79543
छात्रावास हा.से.	65004
सीएम राइज स्कूल	140246
जिला जेल	152288
बीकेएसएन महाविद्यालय	146542
एसडीओ पीडब्ल्यूडी	221741
नगर पालिका	114844
उत्कृष्ट विद्यालय	179726

एक नजर में

किसी दूसरे को बेच दिए हमारे खरीदे गए प्लॉट

शाजापुर जिले के बेरछा क्षेत्र से आए चार पीड़ितों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में प्लाट धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों का आरोप है कि एक विक्रेता ने उन्हें जमीन बेचने के बाद उसी प्लॉट को दोबारा अन्य व्यक्तियों को बेच दिया। शिकायतकर्ताओं में राजूबाई परमार, सुशीला बाई चैहान, रविंद्र चौहान और संजय चैहान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 से 2022 के बीच ग्राम बेरछा स्थित भूमि सर्वे नंबर 2062 के विभिन्न हिस्सों में प्लाट रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदे थे। खरीद के बाद पीड़ितों ने मौके पर कब्जा लिया और खंभे लगवाए। उन्होंने राजस्व अभिलेखों में अपनी जमीन का नामांतरण भी करा लिया था। वर्तमान में खसरा बी 1 में उनके नाम दर्ज हैं जो उनके स्वामित्व की पुष्टि करता है। पीड़ितों का आरोप है कि विक्रेता रमाकांत नाहर ने रजिस्ट्री और भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उनकी अनुपस्थिति में प्लाट पर लगे खंभे उखड़वा दिए और उसी जमीन को अन्य व्यक्तियों को फिर से बेच दिया। इस धोखाधड़ी के कारण पीड़ितों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफसख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ितों ने यह भी कहा कि यदि समय पर न्याय नहीं मिला तो वे उच्च स्तर पर शिकायत करेंगे।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 9 कर्मचारियों को मिली राहत

बड़ौद । नगर परिषद से जुड़े एक अहम मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 9 कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सभी याचिकाकर्ता उसी पद पर कार्य करते रहेंगे, जिस पर वे 2 अप्रैल 2026 से पहले पदस्थ थे। यह आदेश रिट याचिका क्रमांक 14147/2026 लखन परमार एवं अन्य बनाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बड़ौद एवं अन्य में पारित किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवनीत देवड़ा ने पक्ष रखते हुए पूर्व में पारित समान आदेश का हवाला दिया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकरण को रिट याचिका क्रमांक 12845/2026 के साथ जोड़ा जाए ताकि दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई हो सके। इस फैसले के बाद नगर परिषद से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश लागू रहेंगे।

श्री गंगा इण्डेन गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई, 828 गैस सिलेण्डर राजसात

आगर मालवा । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रीति यादव द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत घरेलू गैस सिलेण्डरों के मामले में श्री गंगा इण्डेन गैस एजेंसी आगर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 828 घरेलू गैस सिलेण्डरों को शासन पक्ष में राजसात किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार प्रबंधक श्री गंगा इण्डेन गैस एजेंसीए आगर अजय सोनी पिता सत्य नारायण सोनी तथा प्रोपराइटर सीताराम परिहार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 क के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा द्वारा पारित आदेश के अनुसार जप्त घरेलू इण्डेन गैस सिलेण्डरों में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 507 भरे हुए एवं 321 खाली गैस सिलेण्डर कुल 828 गैस सिलेण्डर शासन हित में राजसात किए गए हैं। न्यायालय द्वारा जप्तशुदा सामग्री के एवज में अनावेदकों को 22 लाख 83 हजार 984 रुपये की दण्ड राशि जमा करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है। आदेशानुसार संबंधित पक्षों को एक माह की अवधि में निर्धारित दण्ड राशि चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करना होगी। निर्धारित राशि जमा होने के उपरांत जप्त की गई सामग्री को मुक्त किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विधिवत निराकरण जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा प्राप्त राशि शासन मद में जमा कराई जाएगी।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत 50 चयनित यात्री विशेष ट्रेन से होंगे रवाना

सोयतकलां। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत जिला आगर मालवा से 50 चयनित यात्रियों को विशेष ट्रेन के माध्यम से सोमनाथ यात्रा पर भेजा जाएगा। यात्रा को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर आरपी वर्मा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध आगर एवं सुसनेर को निर्देश जारी किए गए हैं कि चयनित यात्रियों को सूचित कर 7 मई को सुबह 10 बजे नवीन मांगलिक भवन, कंपनी गार्डन के पीछे, आगर में एकत्रित किया जाए। यात्रा प्रस्थान से पूर्व कंपनी गार्डन परिसर में यात्रियों के स्वागत सत्कार हेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सोमनाथ यात्रा हेतु विशेष ट्रेन 07 मई को दोपहर 2.30 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। यात्रियों को समय पर उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए विशेष बस की व्यवस्था जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की गई है। उक्त बस 7 मई को प्रात: 10 बजे निर्धारित स्थल पर उपलब्ध रहेगी। यात्रा से लौटने वाले यात्रियों को 11 मई को उज्जैन रेलवे स्टेशन से पुन: जिला मुख्यालय आगर मालवा लाया जाएगा, जहां से यात्री अपने अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशासन द्वारा यात्रा के समुचित संचालन हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक एवं समन्वयकों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं तथा उन्हें निर्धारित समय पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

जनसुनवाई में 98 आवेदन प्राप्त

शाजापुर। मुख्यमंत्री जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आज संपन्न हुई जनसुनवाई में 98 आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई कलेक्टर ऋजु बाफना ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा चौहान, अनुविभागीय अधिकारी सुश्री मनीषा वास्कले, डिप्टी कलेक्टर आलोक वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

फाइलों में मुस्कुराता और खेतों में आंसू बहाता है किसान...

पोलिटिकल इनसाइड
मनोज पुरोहित

हारे का सहारा, हर राजनीतिक दल का नारा किसान है हमारा। हर दल को किसान की चिंता तो है, लेकिन उसका उत्थान आज तक नहीं हो पाया। भारतीय राजनीति में किसान वह जादुई शब्द है, जिसे जपते ही वोट बैंक की तिजोरी के ताले खुल जाते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव होता है और इस त्योहार का सबसे प्रिय पकवान किसान है। हर राजनीतिक दल के पास एक विशेष चश्मा होता है किसान-प्रेम का चश्मा। जैसे ही चुनाव की आहट होती है, ये चश्मे अलमारियों से निकलकर नेताओं की आंखों पर फिट हो जाते हैं। फिर उन्हें सड़क पर चलता आम आदमी नहीं, बल्कि केवल अन्नदाता दिखाई देता है। सरकारी फाइलों और सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों में किसान की हालत इतनी सुधर चुकी है कि डर लगता है कहीं अमेरिका का किसान यहां आकर खेती की ट्रेनिंग न मांगने लगे। फाइलों में दर्ज है कि किसान की आय रॉकेट की गति से बढ़ रही है। सिंचाई की ऐसी व्यवस्था है कि थार मरुस्थल में भी बाढ़ आ जाए। बीज इतने उन्नत हैं कि बोते ही फसल सीधे गोदाम में पहुंच रही है। लेकिन हकीकत में, इन कागजी फूलों की खुशबू से सिर्फ मंत्रालय महकते हैं। किसान के फटे हुए कुर्ते की गंध आज भी वही पुरानी है। दिल्ली और राजधानियों के वातानुकूलित कमरों में बैठकर किसान की बदहाली पर जो आंसू बहाए जाते हैं, उनकी शुद्धता पर शक नहीं किया जा सकता। बस समस्या यह है कि वे आंसू जमीन तक पहुंचने से पहले ही डेटा सेंटर में जाकर आंकड़े बन जाते हैं। विपक्ष को किसान की चिंता तब होती है, जब वह सत्ता में नहीं होता और सत्ता पक्ष को किसान की फिक्र तब होती है, जब उसे दोबारा सत्ता में आना होता है। इस चिंता और फिक्र के बीच में किसान उस फुटबॉल की तरह है, जिसे हर दल लोक कल्याण का गोल करने के लिए किक मार रहा है। हर दल के घोषणा पत्र में किसान के लिए मुफ्त का एक लंबा मेन्यू होता है। मुफ्त बिजली, जो आती नहीं, मुफ्त पानी, जो मिलता नहीं और कर्ज माफी, जो होती नहीं। विडंबना देखिए, किसान को आत्मनिर्भर बनाने का नारा वही लोग देते हैं, जिन्होंने उसे दशकों से अनुदान की बैसाखियों पर टिका रखा है। हमारे देश का किसान इतना समृद्ध हो चुका है कि वह अब मिट्टी खाता है, लेकिन वह मिट्टी खेत की नहीं, बल्कि उन सरकारी दफ्तरों की होती है, जहां वह मुआवजे के लिए चक्कर काटता है। नेताओं के भाषणों में किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी पर ही राजनीति का इतना बोझ लाद दिया जाए, तो वह टूट जाती है। आज का किसान बदहाली के आंसू इसलिए नहीं बहा रहा कि उसके पास साधन नहीं हैं, बल्कि इसलिए बहा रहा है क्योंकि उसके नाम पर खीर कोई और खा रहा है और उसे केवल पतीला चाटने का मौका दिया जा रहा है। जब तक किसान वोट से इंसान नहीं बनेगा, तब तक वह फाइलों में मुस्कुराएगा और खेतों में आंसू बहाएगा। सत्ता पक्ष किसानों को समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने का शत-प्रतिशत दावा कर रहा है, तो कांग्रेस अब किसान की चिंता में सड़क नापने की तैयारी में है, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसान राजनीतिक दलों के लिए केवल वोट बैंक बनकर रह गया है। इन दिनों कांग्रेस किसान की चिंता में दुबली हो रही है। 7 मई को भी शाजापुर में किसान को न्याय दिलाने के लिए चक्काजाम है। लेकिन हकीकत यह है कि न तो किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल रहा है और न ही किसान के दुख दर्द को कोई समझ पाया है। सत्ता और विपक्ष के बीच हर बार की तरह फुटबॉल बनकर रह गया है किसान।

रुकी हुई सूची आएगी या फिर रुक ही गई...

कांग्रेस में पदाधिकारियों की सूची आ गई, लेकिन रायता ढुलने से पूरी सूची रुक गई। लगता है अभी तक रायता समेटाया नहीं। इसलिए सूची अभी तक नहीं आई है। देखना यह है कि जो पदाधिकारी बन गए थे, वो वर्तमान कहलाएंगे या पूर्व होकर रह जाएंगे। फूफा और बुआ के कारण ये सूची रुक गई थी। अब फूफा और बुआ के भतीजों के नाम सूची में शामिल किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये सूची जारी होती है या फिर रुकी रह जाती है।

किसे मिलेगी सहकारी बैंक की चाबी

संगठन में ताजपोशी और निगम-मंडल की ताजपोशी के बाद अब नेताओं की निगाहें जिला सहकारी बैंक की कुर्सी पर है। हालांकि इस बार सहकारी बैंक की चाबी आगर जिले के किसी नेता को मिल सकती है। क्योंकि शाजापुर-आगर को मिलाकर एक ही बैंक है, तो ऐसे में इस बार सहकारी बैंक का अध्यक्ष आगर जिले से मिल सकता है।

अंत में...

सियासत में रंग बदलना कोई गुनाह नहीं है।।। यहां तो गिरगिट भी आकर ट्यूशन लेते हैं...

चालान की एपीके फाइल भेजकर बैंक खाते से 2 लाख 93 हजार रुपए उड़ाए...

ऑनलाइन ठगी कर चार बैंक खातों से निकाली राशि

पीड़ित ने सायबर हेल्पलाइन पर दर्ज कराई शिकायत

शुजालपुर। शहर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति के चार बैंक खातों से करीब 2.93 लाख रुपए निकाल लिए। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार बीटीआई कॉलोनी निवासी 54 वर्षीय शिक्षक ब्रजमोहन भसनेरिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 1 मई को सुबह करीब 11 बजे उनके मोबाइल नंबर पर परिवहन चालान से संबंधित 500 रुपए की एपीके फाइल का मैसेज आया। जैसे ही उन्होंने फाइल खोली, उनके मोबाइल पर लगातार कई मैसेज और व्हाट्सएप संदेश आने लगे। इसके बाद उनके एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य खातों से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए राशि कटना शुरू हो गई। जांच करने पर पता चला कि विभिन्न यूटीआर नंबरों के माध्यम से कई बार में रकम ट्रांसफर की गई। अज्ञात व्यक्ति ने फरियादी की पत्नी के बैंक खाते से भी राशि का ट्रांजेक्शन किया। इस दौरान कुल 12 ट्रांजेक्शन में 2 लाख 93 हजार 911 रुपए की राशि खातों से निकल गई। पीड़ित ने तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसका शिकायत क्रमांक भी प्राप्त हुआ है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट व धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को खोलने से बचें और संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें।

मवेशी की टक्कर से बाइक सवार घायल

शाजापुर । सुनेरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 पर सोमवार रात हादसा हो गया। अभयपुर गांव के पास रात करीब 11 बजे सड़क पर अचानक आवारा मवेशी आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में सारंगपुर निवासी अरुण गंभीर 53 रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घायल गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक मवेशी सामने आ गए, जिससे वे बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सके और हादसे का शिकार हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल को तत्काल शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया।

प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप

शुजालपुर । क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री कर उसके साथ छल किया गया। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार ग्राम हन्नुखेडी थाना अवंतिपुर बडोदिया निवासी फरियादी राजेन्द्र पिता भगवतीप्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि शुजालपुर मंडी क्षेत्र में स्थित गायत्री मंदिर के पास पटवारी हल्का नंबर 21 की भूमि सर्वे क्रमांक 349/2 रकबा 0.627 हेक्टेयर में प्लॉट नंबर 109 का सौदा किया था। इस संबंध में पूर्व में रजिस्ट्री भी कराई गई थी। फरियादी का आरोप है कि आरोपी अंकित आचार्य निवासी शाजापुर ने धोखाधड़ी करते हुए उक्त प्लॉट की पहले ही शुजालपुर निवासी मिलिंद जैन के नाम रजिस्ट्री कर दी थी। इसके बावजूद उसे वही प्लॉट बेच दिया गया। बाद में जब वह मौके पर पहुंचा तो उसे जानकारी मिली कि प्लॉट किसी अन्य के नाम दर्ज है। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने जानबूझकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर दोहरी रजिस्ट्री कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया। मामले में लगभग 2.40 लाख रुपए के लेनदेन का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस ने फरियादी द्वारा दिए गए आवेदन पर जांच उपरांत आरोपी के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं राजस्व अभिलेखों की भी पड़ताल की जा रही है।

चार युवकों ने शिक्षक से की मारपीट

शुजालपुर । मंडी क्षेत्र में नाश्ता करते समय हुए विवाद में चार युवकों द्वारा एक शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार ग्राम जंगीवड़ थाना तलेन जिला राजगढ़ निवासी 58 वर्षीय कृष्ण कुमार चिरोड़िया ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वे बरनावद स्कूल में शासकीय शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। 4 मई को वे अपने बेटे ओमप्रकाश और पड़ोसी धर्मेंद्र के साथ अनाज बेचने शुजालपुर मंडी आए थे। शाम करीब 5 बजे मंडी का काम निपटाने के बाद तीनों एटीएम चौराहा स्थित चाट सेंटर पर नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो वाहन से आए चार युवक अनिल, रामनारायण, विनोद और बहादुर सिंह ने उनसे विवाद शुरू कर दिया। आरोपियों ने जातिगत टिप्पणी करते हुए मारपीट की और सिर पर थप्पड़-मुक्कों से हमला कर दिया। घटना के दौरान बेटे ओमप्रकाश और पड़ोसी धर्मेंद्र ने बीच-बचाव किया। आरोप है कि जाते-जाते आरोपी जान से खत्म करने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी और अगले दिन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट व धमकी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच जारी है।

बड़ौद पुलिस ने जब्त किया 4 क्विंटल 3 किलो 353 ग्राम डोडाचूरा

2 आरोपी गिरफ्तार, ट्रक सहित कुल मश्रुका 45.57 लाख

आगर मालवा । सोमवार को थाना बड़ौद पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि डग बड़ौद रोड स्थित खंदवास जोड़ ग्राम बंदवास क्षेत्र में एक ट्रक में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को ग्लूकोज कार्टूनों के बीच छिपाकर परिवहन कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा योजनाबद्ध घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर ट्रक में रखे 850 ग्लूकोज कार्टूनों के बीच छिपाकर रखी गई 20 प्लास्टिक बोरियों में कुल 4 क्विंटल 3 किलो 353 ग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया।

पुलिस ने ट्रक चालक कमल पिता कश्मीरी लाल ओढ़ राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम इन्द्री थाना इन्द्री जिला करनाल हरियाणा से पूछताछ की तो उसने हरिराम पिता नानुराम बगानिया उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम गेलाखेड़ी थाना झारड़ा जिला उज्जैन से मादक पदार्थ प्राप्त करना स्वीकार किया गया। इसके आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित दबिश देकर सहआरोपी हरिराम पिता नानुराम बगानिया को गिरफ्तार किया। जब्तशुदा मश्रुका के मामले में बड़ौद पुलिस ने धारा 8/15 एनडीपीएस बज के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। इसमें सह।आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर धारा 29 एनडीपीएस एक्ट भी जोड़ी गई है। दोनों आरोपियों से मादक पदार्थ तस्करी के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ जारी है तथा पुलिस रिमांड प्राप्त कर विवेचना की जा जाएगी। प्रभावी कार्रवाई में निरीक्षक रुपसिंह बैस, सउनि हरिनारायण सोलंकी, प्रधान आरक्षक अर्जुन बागड़ी, प्रधान आरक्षक सतीश मोदी, प्रधान आरक्षक प्रकाश मालवीय, आरक्षक राहुल विश्वकर्मा, आरक्षक शुभम जोशी एवं आरक्षक भीमसिंह की विशेष सराहनीय भूमिका रही।

एक नजर में — शैक्षणिक गतिविधियों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में हुई चर्चा

पुस्तक-साइकिल वितरण और विद्यार्थियों के नामांकन की समीक्षा

शाजापुर। डाइट प्राचार्य अनीता श्रीवास्तव और जिला परियोजना समन्वयक धीरज बिरथरिया की अध्यक्षता में गत दिवस जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक गतिविधियों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान पुस्तक वितरण, विद्यार्थियों का नामांकन, स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन, ड्रॉपबॉक्स, नि:शुल्क सायकल वितरण, कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुन: परीक्षा तथा शालाओं में जादुई पिटारा के वितरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मिशन अंकुर टीम के जिला प्रभारी रवि विश्वकर्मा द्वारा अप्रैल माह की मेंटरिंग प्रगति, मासिक ट्रैकर डाटा, एफएलएन सामग्री वितरण की स्थिति एवं आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि सभी शालाओं तक विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार सामग्री पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सामग्री को शालावार ट्रैक भी किया जाएगा। बैठक में डीपीसी धीरज बिरथरिया द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी विकासखंड सामग्री की कमी की जानकारी दो दिवस के भीतर जिला स्तर पर उपलब्ध कराएं, ताकि समय पर राज्य स्तर को मांग प्रेषित की जा सके।

मेंटरिंग कार्य 15 जून से शुरू करने पर जोर

साथ ही विकासखंड स्तर पर समीक्षा बैठकें प्रथम सप्ताह में आयोजित करने एवं डाटा का विश्लेषण जनशिक्षा केंद्रवार करने के निर्देश दिए गए। मेंटरिंग कार्य को 15 जून से पुन: प्रारंभ करने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर सभी विकासखंडों के बीआरसी एवं बीएससीए डाइट से एफएलएन जिला प्रभारी महेश भेसानिया, मिशन अंकुर टीम से अभिषेक चतुर्वेदी एवं सभाजीत पटेल उपस्थित थे।

जनसुनवाई में आए 81 आवेदन

आगर मालवा । कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में जिलेभर से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में ग्राम भ्याना निवासी अर्जुन पिता कालू द्वारा भूमि के गलत सीमांकन के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक ने बताया कि उसकी निजी भूमि के सीमांकन हेतु तहसील कार्यालय में विधिवत आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन किया गया, किंतु सीमांकन अन्य स्थान पर कर दिया गया। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार आगर को प्रकरण की जांच कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार मंगलवार को जनसुनवाई में कुल 81 आवेदन आए है।